बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०स० :–2/अ०प्र०–1–366/2018 122 /पटना, दिनांक :– 16.1.24

श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी के विरूद्ध जल संसाधन विभाग अन्तर्गत अपर महानन्दा योजना फेज–1 के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत महानन्दा नदी के बाँया एवं दाँया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं ब्रीक सोलिंग कार्य (वर्ष 2010–2014) में बरती गयी अनियमितता के लिये जल संसाधन विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. जल संसाधन विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सिंह को अधिसूचना संख्या–1337–सह–पठित ज्ञापांक–1338 दिनांक 07.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया एवं श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुनर्गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–1343 अनु० दिनांक 08.05.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संदर्भित मामले में पुनः जल संसाधन विभाग के पत्रांक 991 अनु० दिनांक 16.05.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को यथावत् रखते हुए अधिसूचना संख्या–2146–सह–पठित ज्ञापांक–2147 दिनांक 18.07.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार श्री सिंह दिनांक 07.05.2019 से 17.07.2019 तक निलंबित रहे।

4. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत अधिसूचना संख्या–1836–सह–पठित ज्ञापांक 1837 दिनांक 08.11.2022 द्वारा इनके विरूद्ध देय प्रोन्नति के तिथि से अगले दो वर्ष तक प्रोन्नति पर रोक एवं कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर सेवानिवृति तक अवनति का दंड अधिरोपित किया गया।

5. श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिन आरोपों पर श्री सिंह को दिनांक 07.05.2019 से 17.07.2019 तक निलंबित रखते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत दंड संसूचित कर दिया गया है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री सिंह के निलंबन अवधि दिनांक 07.05.2019 से दिनांक 17.07.2019 में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी, के रूप में विनियमित किया जाता है।

16.1.24

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–366/2018 122 /पटना, दिनांक :– 16.1.24

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–366/2018 122 /पटना, दिनांक :– 16.1.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, धमदाहा/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6/12, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अर्जुन कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्राचार का पता :– फ्लैट नं0–301, एम0के0 रेसीडेन्सी, विवेकानन्द मार्ग, एस0के0पुरी, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24

अवर सचिव